संख्या-731/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनाक:29/05/2024

विषयः- अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0, लखनऊ को आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सख्या- एफएस(टी)-231-2022(आ0रा0) दिनाक- 30.04.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अग्निजनित आपदाओं के निवारण और प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार विविध उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु एल-1 की कुल धनराशि रू0 78,07,87,104/- (रूपया अठहत्तर करोड़ सात लाख सत्तासी हजार एक सौ चार मात्र) को अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

| सं0 | वाहन/ उपकरण का नाम | संख्या | स्वीकृत की धनराशि (रु0 में) | व्यय धनराशि | न्यूनतम के आधार पर एल- 1 की धनराशि | शेष धनराशि (रु0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल का क्रय | 75 | 37,50,00,000/- | - | 36,91,26,354/- | 58,73,646/- |
| 2 | आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का क्रय | 03 | 27,00,00,000/- | - | 26,34,30,750/- | 65,69,250/- |
| 3 | इमरजेन्सी फायर इंजन मोटर बाइक का क्रय | 135 | 14,85,00,000/- | - | 14,82,30,000/- | 2,70,000/- |
| 4 | रेस्क्यू टूल किट सेट का क्रय | 18 | 5,40,00,000/- | 4,98,96,000/- | - | 41,04,000/- |
| | कुल योग | | 84,75,00,000/- | 4,98,96,000/- | 78,07,87,104/- | 1,68,16,896/- |

2- उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्नि जनित आपदाओं के निवारण और प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2023 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में रु0 96,00,00,000/- की धनराशि आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-770/एक-10-2023-33(04)/2023, दिनांक 08.06.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रु0 48.00 करोड़ की धनराशि एवं शासनादेश संख्या-1596/एक-10-2023-33(04)/2023, दिनांक 03.11.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु0 36.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए प्रमुख सचिव गृह के निवर्तन पर रखी गयी थी जिसमें से

कुल स्वीकृत धनराशि रू0 ***84,75,00,000/-*** के सापेक्ष अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से जेम बिड के अन्तर्गत वाहनों/उपकरणों के क्रय हेतु न्यूनतम के आधार पर एल-***1*** पायी गयी फर्मो को क्रयादेश/कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है एवं ***18*** अदद ***RESCUE TOOL KIT SET (Q3)*** के क्रय की कार्यवाही पूर्ण करने में धनराशि रू0 ***4,98,96,000/-*** का उपयोग/व्यय करते हुए कुल अवशेष धनराशि रू. ***79,76,04,000/-*** समर्पित कर दी गयी है।

***3-*** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार अग्निजनित आपदाओं के निवारण और प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु विविध उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से कुल अनुमोदित धनराशि रू० 96.00 करोड़ के सापेक्ष जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु प्रस्तर-***1*** में अंकित तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु एल-1 की कुल धनराशि रू0 78,07,87,104/- (रूपया अठहत्तर करोड़, सात लाख सत्तासी हजार, एक सौ चार मात्र) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि अग्निशमन तथा आपात सेवा उ0प्र0 लखनऊ को अविलम्ब अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध</u>

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या-437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2 अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

*3.* स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

*4.* राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020-NDM-1, दिनांक-14.*01*.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

*5.* समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जाये, यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जाये।

*6.* जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

*7.* उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

*8.* व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

9 . ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

*10.* उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव, संचालन एवं पी0ओ*0*एल0 आदि संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।

*11.* अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वितीय वर्ष में अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

*12.* भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

*13.* प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेतु नोडल अथिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में सुनिश्चित की जाय ताकि

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को समय से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 78,07,87,104/- (रूपया अठहत्तर करोड़ सात लाख सत्तासी हजार एक सौ चार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 से वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 29-05-2024 16:43:17
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या:-731(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, उ0प्र0 ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
5-पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन तथा आपात सेवा, मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0 ।
10- राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

# Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2024-2025**
**आवंटन दिनांक-05/06/2024**

**प्रेषण संख्या:-** 731
**आवंटन आदेश संख्या:-** 001-731
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
**लेखाशीर्षक:-** 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

**(धनराशि रु. में)**

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 24-वृहत् निर्माण कार्य | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 780787104<br>780787104 | 780787104<br>780787104 |
| | **योग** | वर्तमान<br>प्रगामी | 780787104<br>780787104 | 780787104<br>780787104 |

**महायोग-** (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठहत्तर करोड़ सात लाख सत्तासी हजार एक सौ चार
**महायोग-** (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठहत्तर करोड़ सात लाख सत्तासी हजार एक सौ चार

(रजनी कान्त वर्मा)
**वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी**

( रजनी कान्त वर्मा )
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश